बालकिशन बनाम मदन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/12/17	वकुलाय उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र स्थगन वकील प्रार्थी ने पेश किया अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री ~~[illegible]~~ भुपेन्द्र सिंह एड० ने वकालतनामा के साथ कैविएट प्रार्थना-पत्र पेश किया हुआ है जो उपस्थित है। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली वास्ते तलबी जवाब व बहस पत्रावली दिनांक 04/01/18 को पेश हो। SDOK	
04/01/18	वकुलाय उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 ता 6 की ओर से वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश किया। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 04/01/18 को पेश हो। SDOK	
04/01/18	वकुलाय उपस्थित। बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 5/1/18 को पेश हो। SDOK	
5/1/18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रा० पत्र 212 RTA स्वीकार किया जाकर तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द आदेशित किया जाता है कि वो विवादित आराजी के बीकाई एवं मौका की वर्तमान स्थिति में किसी तरह का कोई परिवर्तन न करें। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर प्रा०पत्र निस्तारित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे। सुनाया। SDOK	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/227/2017

बउनवान

1. बालकिशन पुत्र गोकल जाति खटीक निवासी खौंखर
तहसील कठूमर जिला अलवर

------ सायल

बनाम

1. मदन पुत्र गोकल जाति खटीक निवासी खौंखर
2. रतनलाल पुत्र गोकल जाति खटीक निवासी खौंखर
3. बृजमोहन पुत्र गोकल जाति खटीक निवासी खौंखर
4. सावित्री पुत्री गोकल पत्नी पप्पू खटीक निवासी खौंखर
हाल गुढाकटला तहसील बांदीकुई
5. बबीता पुत्री गोकल पत्नी जगन जाति खटीक निवासी खौंखर
हाल गुढाकटला तहसील बांदीकुई
6. बत्तोदेवी पत्नी स्व0 गोकल जाति खटीक निवासी खौंखर
7. तहसीलदार कठूमर
8. उप पंजीयक भनोखर
तहसील कठूमर जिला अलवर

----- गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :-

श्री सुभाषचन्द 'अरूंवा

श्री सत्येन्द्र शर्मा एडवोकेटस - वकील सायल

श्री देवेन्द्रसिंह नरूका एडवोकेट- वकील गैरसायल सं01 ला06

आदेश

दिनांक 05.01.2018

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 46 बटे 240 रकबा 1.01 हे. ग्राम दुघाटी तहसील कठूमर में स्थित है। सायल एंव गैरसायल सं0 1 ला0 6 एक ही वुजुर्ग गोकल के वारिसान हैं। विवादित आराजी श्री गोकल की पैदा कर्दा आराजी है। जो विरासत में सायल व गैरसायलान को प्राप्त हुई है। जिस पर सायल एंव गैरसायल संख्या 1ला03 काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। गैरसायल संख्या 4,5 अपनी अपनी ससुराल में रहती है। विवादित आराजी सायल व गैरसायलान की अवट आराजी है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। अव विवादित आराजी पर पक्षकारान के मध्य शामलात काश्त करने में झगडा होता है तथा शामलात में काश्त करना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। सायल विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहता है लेकिन गैरसायलान विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराने को तैयार नहीं है। गैरसायलान लट्ठबाज मुठमर्द व्यक्ति है जो सायल को उसके हिस्से के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है। गैरसायलान ने सायल को धमकी दी है कि हम तुझे तेरे हिस्से की आराजी पर शांति पूर्वक काश्त नहीं करने देगें तथा विवादित आराजी को दीगर लोगों को रहन वय करेगें गैरसायलान मना करने से नहीं मान रहे है। जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायल को अपार हानि क्षति व असुविधा होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना-पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में सावित है। अतः सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी खसरा नम्बर 46 बटे 240 रकवा 1.01 हे. वाके ग्राम दुघाटी तहसील कठूमर में सायल को शामलात में कुल काश्त सम्बन्धी कार्य करने में किसी किस्म की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करने व रहन वय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल ना करने व गैरसायल संख्या 7,8 को उक्त आराजी वावत किसी तरह का वयनामा रहननामा आदि दस्तावेज दर्ज व पंजीवद्व ना करने व रेकार्ड एंव मौका की यथास्थिति बनाये रखने वावत गैरसायलान को पावन्द कराने की प्रार्थना की है।

प्रार्थना पत्र सायल दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायल सं0 1 ला06 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि सायल ने प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। विवादित आराजी सायल वो गैरसायल संख्या 1 ला06 को वहिस्से वरावर विरासत में प्राप्त हुई है और सभी आराजी मुतनाजा पर काविज हैं। गैरसायल संख्या 1,3,4,5,6 ने गोकल से विरासत में प्राप्त हिस्से 5 बटे 7भाग को जरिये हक त्याग दिनांक 27.12.2017 को उप पंजीयक कठूमर के यहां उपस्थित होकर गैरसायल संख्या 2 के हक में हक त्याग कर दिया है। जिस हक त्याग के आधार पर नामान्तकरण भी गैरसायल संख्या 2 के हक में तस्दीक हो चुका है केवल तस्दीक होना है। विवादित आराजी अवट ना होकर वंटी हुई है। सायल अपने 1 बटे 7 हिस्से पर काविज है। गैरसायल संख्या 2 अपने 6 बटे 7

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

हिस्से पर काबिज है। मौके पर विवादित आराजी पर कब्जे को लेकर कोई विवाद नहीं है। सायल को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। गैरसायलान विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है जिन्हे अपने हिस्से की आराजी को रहन वय करने का पूरा पूरा अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र सायल खारिज किया जावे।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 वाके ग्राम दुघाटी की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता सायल ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में शामलात खातेदारी में दर्ज है तथा विवादित आराजी अवट है। गैरसायलान शामलात कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है। इस वजह से सायल विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहता है। विद्वान अधिवक्ता सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को पाबन्द करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिववक्ता गैरसायल ने अधिवक्ता सायल के तथ्यों का विरोध करते हुये कथन किया कि विवादित आराजी मौके पर बंटी हुई है। अवट नहीं है। गैरसायल सं0 1,3,4,5,6 ने अपने 5 बटे 7 हिस्से का जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग गैरसायल संख्या 2 के हक में रजिस्टर्ड करा दिया है। इस प्रकार विवादित आराजी के 6 बटे 7 हिस्से पर गैरसायल संख्या 2 व 1 बटे 7 हिस्से पर सायल मुताबिक घरू बंटवारा काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। जिस हक त्याग के आधार पर गैरसायल संख्या 2 के हक में इन्तकाल दर्ज हो चुका है। सायल गलत तथ्यों के आधार पर दर्ज शुदा इन्तकाल को रुकवाना चाहता है। मौके पर कोई विवाद नही है। एक सहखातेदार काश्तकार को पाबन्द नहीं किया जा सकता है। सायल ने गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। सायल को प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन बिन्दुओं को अपने पक्ष में साबित कराना है :-

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना-पूर्ति होने वाली क्षति

उक्त बिन्दुओं पर हमारा विवेचन निम्न प्रकार से है।

पत्रावली के तथ्यों पत्रावली में संलग्न जवाव दर0 जमाबन्दी संवत् 2069 लगा0 2072 वाके ग्राम दुघाटी की छाया प्रति के अवलोकन व विद्वान

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

अधिवक्तागण की वहस पर मनन करने पर विवादित आराजी खसरा नम्बर 46 बटे 240 रकवा 1.01 हे0वाके ग्राम दुघाटी सायल एंव गैरसायलान के नाम मुताविक हिस्सा सहखातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। अतः विवादित आराजी पर मुताविक हिस्सा शामलात में काश्त होने का अनुमान किया जाता है। विना तकासमा कराये शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी में एक दूसरे सहकाश्तकार को दखलनदाजी व काश्त में मजाहमत करना गैरकानूनी है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद तकसीम के साथ पेश हुआ है। जिसके विचारण में वाद पत्र पेश होने से वाद किये गये रद्दोवदल का इस प्रार्थना पत्र मे निर्णय करना उचित नहीं है। गैरसायलान सुसंगत दस्तावेज के साथ सी पी सी में उपयुक्त प्रार्थना पत्र पेश करने के लिये स्वतंत्र है। यदि गैरसायलान ने सायल को शामलात में कब्जे काश्त मे बाधा पहुँचाई तो नुकशान क्षति व असुविधा सायल को होना संभव है। गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकशान, क्षति या असुविधा होती हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नही है। प्रार्थना पत्र के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड जवाव गैरसायलान के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन करने पर प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना-पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायल के पक्ष में ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र सायल स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 46 बटे 240 रकवा 1.01 हे. वाके ग्राम दुघाटी तहसील कठूमर की रेकार्ड एंव मौके की वर्तमान स्थिति मे वाद पत्र के निस्तारण तक कोई परिवर्तन ना करें। यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो वाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न हो।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 05.01.2018 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर
कठूमर (अलवर)